DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, APRIL 22, 2025 --DATED---------------------

Primary responsibility of stopping illegal construction with civic bodies, says govt

Times News Network

The home department of Delhi govt said it had got to know that local bodies, land-owning agencies and revenue authorities were issuing directions to Delhi Police to stop unauthorised constructions across the national capital

New Delhi: Following complaints that local bodies were issuing directions to Delhi Police to stop illegal constructions, the home department of Delhi govt has issued an advisory stating that the primary responsibility of preventing unauthorised building activities lies with the civic agencies. It added that the land-owning agencies or local bodies should take necessary action and police were duty-bound to provide necessary support.

Sources said there were several incidents in the past when senior officials in civic agencies directed the local staff of Delhi Police to check illegal building activity or encroachment taking place in the area under their jurisdiction and take preventive action. The issue was brought before the senior officials of the home department by Delhi Police officers in a meeting a few days ago.

The department said it had got to know that local bodies, land-owning agencies and revenue authorities were issuing directions to Delhi Police to stop unauthorised construction and removal of encroachments, etc. "The primary responsibility to prevent unauthorised construction and removal of encroachments lies with the local bodies concerned, land-owning agencies and revenue authorities," the advisory stated. "It is, therefore, advised that all local bodies, revenue authorities and land-owning departments may take necessary action accordingly. It is further reiterated that Delhi Police is duty-bound to provide necessary assistance during the said actions as per the requirement of all agencies concerned."

The order came at a time when 11 people have died in a building collapse in northeast Delhi's Mustafabad. Preliminary investigations indicated illegal construction in the building.

The communication was sent to the principal secretary of the urban development department, PWD principal secretary, divisional commissioner, MCD commissioner, DDA chairman, NDMC chairman and the secretary of irrigation and flood control department.

The UD department issued a circular a few weeks ago stating that there was no provision requiring police nod for carrying out a construction activity. This was done following complaints of harassment against police personnel.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025 ---------DATED---------------------

अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने का काम पुलिस का नहीं : संजय अरोड़ा

जासं, नई दिल्ली : राजधानी में कहीं भी भवन निर्माण शुरू करने पर संबंधित थाना पुलिस की ओर से वहां पहुंचकर अवैध रूप से वसूली करने की कोशिश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अनधिकृत निर्माण रोकने व ध्वस्त करने का काम पुलिस का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह काम संबंधित डीडीए, एमसीडी व रेवेन्यू विभाग है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अवैध निर्माण को रोकने के लिए अधिकृत नहीं है। पुलिस का कर्तव्य केवल ऐसी गतिविधियों की सूचना संबंधित विभाग को देना है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि अनधिकृत निर्माण रोकने व ध्वस्त करने के लिए सिविक विभाग के कर्मचारी जब मौके पर आते हैं, तब उनकी ओर से सहायता मांगने पर उचित सहायता व सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य बनता है। अरोड़ा ने सभी अधिकारी व थानाध्यक्षों को इस बारे में उचित जागरूकता पैदा करने व इस पर अमल करवाने के निर्देश दिए। करीब ढाई साल पहले भी पुलिसकर्मियों की ओर से भवन निर्माण स्थलों पर पहुंचकर वसूली करने की विभाग के पास काफी शिकायतें आने पर निर्माण स्थलों पर जाने पर रोक लगाने से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई थी। कुछ महीने तक इस पर रोक लगी रही, लेकिन धीरे-धीरे फिर से पुलिसकर्मियों ने ये करना शुरू कर दिया था। इसका बड़ा उदाहरण बीते दिनों मांडल टाउन में तब देखने को मिला जब घर की मरम्मत कराने पर सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर से ही उनकी बीट में तैनात एएसआइ ने आठ लाख मांगे थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 ----------------------

द्वारका की सोसायटी में साफ पानी के लिए तरस रहे लोग

■ नवीन निश्चल, द्वारका

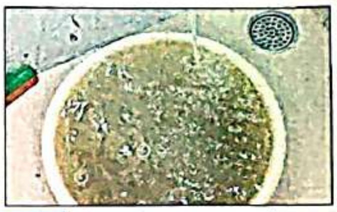

करोड़ों में बनी हुई सोसायटी, द्वारका सब सिटी में मूलभूत सुविधा यानी पीने का पानी भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। यह हाल है द्वारका के पॉश इलाके कौटिल्य अपार्टमेंट का। ये अपार्टमेंट सेक्टर 14 में है, यहां लगभग 400 डीडीए फ्लैट है, लेकिन यहां रहने वाले लोग लगभग 4 महीने से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।

रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन के प्रेजिडेंट सोमनाथ गौतम ने बताया की समस्या की शुरुआत दिसंबर से हुई थी। जो जनवरी में ज्यादा बढ़ गई, हालत यह हो गई कि 100 से ज्यादा लोग डायरिया से बीमार हो गए। एक शख्स की उसी बीमारी की चपेट में आकर मौत भी हो गई।

पॉश इलाके के कौटिल्य अपार्टमेंट में दिक्कत

सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी नितेश भारद्वाज के अनुसार, सोमवार को जल बोर्ड के जूनियर इंजिनियर मोहित कटारिया मुआयना करने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीवर को भी खाली करवाकर देखते हैं, शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए।

RWA की ज्वॉइंट सेक्रेटरी शशी वर्मा का कहना है कि लोगों को भी कहा गया है कि वह अपने-अपने पानी की लाइन को चेक करें। ऐसा ना हो किसी की पाइपलाइन डैमेज हो। कोषाध्यक्ष आर के आर्या कहते हैं कि सबसे अधिक टैक्स सोसायटी के लोग देते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है।

द्वारका सेक्टर 11, पॉकेट - 2 के व्यास कुंज अपार्टमेंट में भी पिछले कुछ दिनों से गंदा पानी आ रहा है। यहां के RWA के महासचिव नरेश पॉल ने बताया कि यह समस्या लगभग पिछले 1 हफ्ते से आ रही है। इस सोसायटी में 198 फ्लैट हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन साफ पानी के लिए तरस रहे हैं।

DDA के वीसी होंगे बिहार कैडर के IAS एन सरवण

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: डीडीए के नए वाइस चेयरमैन पद पर बिहार कैडर (2000 बैच) के सीनियर आइएएस अधिकारी एन सरवण कुमार को अपॉइंट किया गया है।

इस समय वे बिहार सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह पदभार केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के रैंक पर दिया गया है। उनके अपॉइंटमेंट का ऑर्डर भी जारी हो गया है। हालांकि, अभी वे बिहार सरकार से रिलीव नहीं हुए हैं। इसीलिए उन्होंने डीडीए में कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया है।

इस समय डीडीए के फाइनेंस मेंबर विजय कुमार सिंह ही वीसी का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं

इस समय डीडीए के फाइनेंस मेंबर विजय कुमार सिंह ही वाइस चेयरमैन का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी नवंबर 2024 में अधिकतम छह महीने के लिए सौंपी गई थी।

दैनिक जागरण 7
नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025

एन सरवण कुमार बने डीडीए के नए उपाध्यक्ष

जागरण ● नई दिल्ली: बिहार कैडर (2000 बैच) के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एन सरवण कुमार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी वह बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह पदभार केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के रैंक पर दिया गया है। उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए हैं, हालांकि अभी वह बिहार सरकार से रिलीव नहीं हुए हैं। इसलिए डीडीए का कार्यभार भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। गौरतलब है कि इस समय (डीडीए) के वित्त सदस्य विजय कुमार सिंह ही डीडीए उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। नवंबर, 2024 में यह जिम्मेदारी उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए सौंपी गई थी। उनका छह माह का कार्यकाल अगले कुछ ही दिनों में पूरा होने जा रहा है। (राब्यू)

एन सरवण कुमार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, APRIL 22, 2025 ---DATED---------------------

Where Development Values Nature

Don't miss this opportunity which is available only till April 30

'First Come - First Serve' basis

DDA Sabka Ghar Awaas Yojana & DDA Shramik Awaas Yojana

Extended till April 30, 2025

Special beneficiaries of 25% discount under Sabka Ghar Awaas Yojana 2025

- Women
- Persons belonging to SC/ST category
- Persons with disabilities (Divyangjan)
- Ex-servicemen and recipients of Gallantry and Arjuna Awards
- Auto rickshaw drivers and cab drivers**
- Persons registered under PM Svanidhi Scheme such as street vendors/hawkers

*Actual Flats Image

EWS, LIG, MIG & HIG Flats
Available in Narela, Loknayakpuram, Siraspur

Loknayakpuram MIG flats available at 20% discount.

For Booking & Registration, please visit: **www.dda.gov.in or https://eservices.dda.org.in** **Operating in Delhi who have permit and registration in his name from the Transport Department, GNCTD on or before 31.12.2024

for assistance, call at: **1800 110 332**

Delhi Development Authority

Follow us on: @ddaofficial @official_dda @official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 22 APRIL, 2025

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI - 22 अप्रैल, 2025 ▸ मंगलवार

Where Development Values Nature

केवल 30 अप्रैल तक उपलब्ध है, यह अवसर न चूकें

'पहले आओ - पहले पाओ' आधार पर

डीडीए सबका घर आवास योजना तथा डीडीए श्रमिक आवास योजना

EWS, LIG, MIG व HIG फ्लैट्स
नरेला, लोकनायकपुरम तथा सिरसपुर में उपलब्ध

डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 की 25% छूट के विशेष लाभार्थी

- महिलायें
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग
- दिव्यांगजन
- पूर्व सैनिक एवं वीरता पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले
- ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक**
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति जैसे कि स्ट्रीट वेंडर/हॉकर

लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स 20% की छूट के साथ उपलब्ध हैं

*फ्लैट्स का वास्तविक चित्र

बुकिंग और पंजीकरण के लिए विज़िट करें: **www.dda.gov.in or https://eservices.dda.org.in**

**दिल्ली में चलने वाले ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक जिनके पास परिवहन विभाग जीएनसीटीडी द्वारा 31.12.2024 या उससे पहले जारी परमिट और पंजीकरण है

सहायता के लिए कॉल करें: 1800 110 332

दिल्ली विकास प्राधिकरण

हमें फॉलो करें @ddaofficial @official_dda @official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 ------

Where Development Values Nature

केवल 30 अप्रैल तक उपलब्ध है, यह अवसर न चूकें

'पहले आओ - पहले पाओ' आधार पर

डीडीए सबका घर आवास योजना तथा डीडीए श्रमिक आवास योजना

EWS, LIG, MIG व HIG फ्लैट्स
नरेला, लोकनायकपुरम तथा सिरसपुर में उपलब्ध

डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 की 25% छूट के विशेष लाभार्थी

- महिलायें
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग
- दिव्यांगजन
- पूर्व सैनिक एवं वीरता पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले
- ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक**
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति जैसे कि स्ट्रीट वेंडर/हॉकर

लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स 20% की छूट के साथ उपलब्ध हैं

*फ्लैट्स का वास्तविक चित्र

बुकिंग और पंजीकरण के लिए विज़िट करें: www.dda.gov.in or https://eservices.dda.org.in

**दिल्ली में चलने वाले ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक जिनके पास परिवहन विभाग जीएनसीटीडी द्वारा 31.12.2024 या उससे पहले जारी परमिट और पंजीकरण है

सहायता के लिए कॉल करें: 1800 110 332

दिल्ली विकास प्राधिकरण

हमें फॉलो करें: @ddaofficial @official_dda @official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS------ TUESDAY, 22 APRIL, 2025 | NEW DELHI

Law. Justice. Overreach.

Instances of the Supreme Court leveraging Article 142 to deliver 'complete justice' posit concerns around its undefined scope and fading balance between the judiciary and the legislative

Vice President Jagdeep Dhankhar recently referred to Article 142 as a "nuclear missile against democratic forces," expressing concerns about its potential for judicial overreach. His statement has fuelled the ongoing debate over the expanding role of the judiciary in matters traditionally handled by the executive and legislature.

In the landmark judgement of *The State Of Tamil Nadu vs. The Governor Of Tamil Nadu & Anr.*, the Supreme Court imposed a one-month deadline for Governors to act on bills passed by state assemblies and a three-month deadline for the President to act on bills reserved for consideration. The Court ruled that the President's decision to withhold assent on bills reserved for consideration can be challenged on grounds of 'arbitrariness or mala fides'. Prolonged inaction by the President also allows the State to seek a writ of *mandamus*.

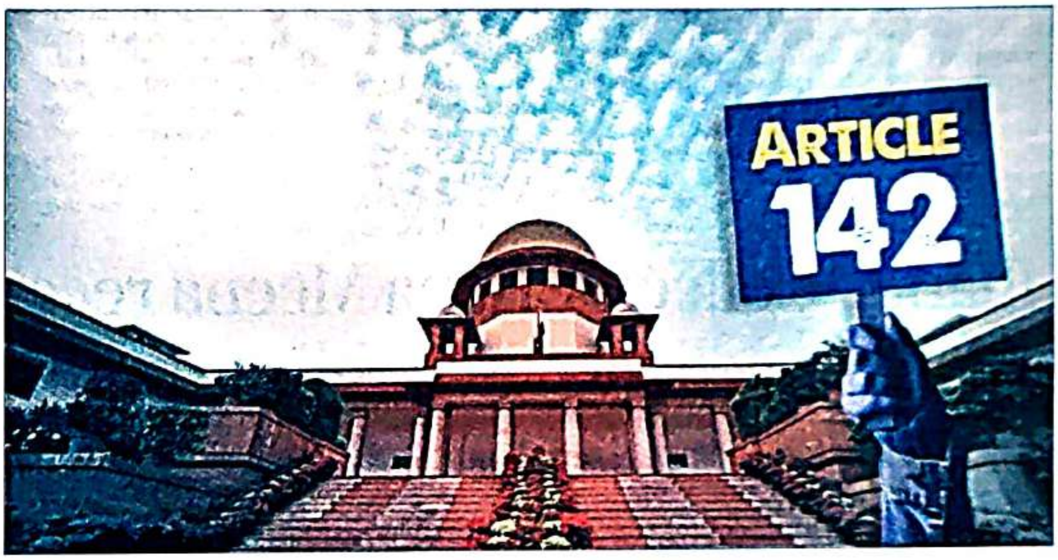

When the Constitution was drafted, Article 142 was passed without debate, leaving it open to wide interpretations

However, this ruling introduces subjectivity in reviewing the President's decisions, particularly in determining whether an action is 'arbitrary or malafide,' terms that lack a clear legal definition and may lead to inconsistent judicial intervention. Moreover, granting 'deemed assent' to the bills undermines the Governor's discretionary powers by presuming "lack of bona fides" on his part without clear evidence. This approach risks disrupting India's delicate separation of powers.

While the Supreme Court swiftly interprets ambiguous constitutional provisions, it has time and again avoided giving a clear, objective definition of Article 142 and 'complete justice.'

Article 142 and 'Complete Justice'

Article 142 empowers the Supreme Court to pass any order or decree necessary to ensure complete justice in matters before it. These orders are enforceable across India and until Parliament frames a law for enforcement, the President may prescribe the procedure. No other constitution grants such powers to its courts, except Bangladesh and Nepal, both inspired by the Indian model. While invoking Article 142 to fill legal gaps is justified, using it to override existing laws crosses the line into abuse of power and judicial overreach.

Explaining the scope of this power, in *Supreme Court Bar Association v. Union of India (SCBA)*, Justice AS Anand, clarified that "Article 142 cannot be used to build a new edifice where none existed earlier, by ignoring express statutory provisions dealing with a subject and thereby to achieve something indirectly which cannot be achieved directly". The powers under Article 142 of the Constitution were held to be 'supplementary' in nature and not those which could be used to 'supplant' the applicable legislation.

However, several instances suggest that the Court has at times used this provision to override substantive laws, such as in *State of Tamil Nadu v. K Balu*, where the Court banned liquor sales within 500 meters of national highways using its powers under Article 142, disregarding state excise laws. This was criticised for lacking balance and consideration of regional differences. Similarly, the Court has used Article 142 to direct the Central Bureau of Investigation (CBI) to investigate crimes in states without their consent, bypassing the statutory requirement under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. While these actions are often justified by the court as necessary for ensuring justice, they raise concerns about the erosion of state autonomy and the proper limits of judicial power.

A Double-Edged Sword

Judicial activism can play a crucial role in protecting fundamental rights and addressing governance failures, especially when elected representatives fall short. However, when it overrides statutory law, it risks undermining the democratic process. Laws should reflect the will of the people, and when judges replace the legislature's decisions, it can lead to constitutional chaos.

When the Supreme Court of India had the opportunity to explain the meaning of 'complete justice' in Delhi Development Authority v Skipper Construction Co. it stated "*As a matter of fact, we think it advisable to leave this power undefined and uncatalogued so that it remains elastic enough to be moulded to suit the given situation. The very fact that this power is conferred only upon this Court, and on no one else, is itself an assurance that it will be used with due restraint and circumspection*". The Court's rationale that leaving power undefined ensures flexibility, conveniently overlooks the risks of subjective interpretation, paving the way for judicial overreach.

It's important to note that when the Constitution was drafted, Article 142 was passed without debate, leaving it open to wide interpretations. Every time the Court stretches beyond the law, it inches closer to encroaching on the legislature's domain. The Court needs to strike a balance between delivering absolute justice and respecting the constitutional roles of elected representatives. In its chase of 'complete justice', the Court has to be cautious not to disturb the very democratic balance it is meant to safeguard.

Views expressed are personal

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
नई दिल्ली | मंगलवार, 22 अप्रैल 2025

NAME OF NEWSPAPERS----------

पंजाब केसरी DELHI 22 अप्रैल, 2025 ▶ मंगलवार

डीडीए मुख्यालय में आम नागरिकों की एंट्री पर रोक, लोगों में नाराजगी

नई दिल्ली। डीडीए ने अपने मुख्यालय विकास सदन में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पहले सोमवार और बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद आम लोग बिना किसी पूर्व अनुमति के विकास सदन में जाकर अपनी संपत्तियों से जुड़ी फाइलें, बकाया राशि या अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

डीडीए के इस नए निर्णय से अब नागरिकों को अधिकारियों से सीधे मुलाकात करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि डीडीए ने यह कदम प्रशासनिक कार्यों में सुधार और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करना होगा। कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम उतना प्रभावी नहीं है और उनकी शिकायतों का समाधान समय पर नहीं हो पाता। यह निर्णय अस्थायी है और जल्द ही नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर डीडीए ने इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

द्वारका के रहने वाले अशोक धनखड़ अपने डीडीए फ्लैट से संबंधित जानकारी लेने विकास सदन पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पहले हम सीधे अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बता सकते थे। अब ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। यह निर्णय आम लोगों की परेशानी बढ़ाने के साथ डीडीए को भी आर्थिक रूप से और कमजोर करेगा। इससे पहले भी डीडीए के फैसलों को लेकर विवाद हो चुके हैं। ब्यूरो

एन सरवण कुमार बने डीडीए के नए उपाध्यक्ष

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बिहार कैडर (2000 बैच) के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एन सरवण कुमार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। निवर्तमान में वह बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह पदभार केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के रैंक पर दिया गया है। उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए हैं, हालांकि अभी वह बिहार सरकार से रिलीव नहीं हुए हैं इसीलिए डीडीए का कार्यभार भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। गौरतलब है कि इस समय (डीडीए) के वित्त सदस्य विजय कुमार सिंह ही डीडीए उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। नवंबर 2024 में यह जिम्मेदारी उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए सौंपी गई थी। उनका छह माह का कार्यकाल अगले कुछ ही दिनों में पूरा होने जा रहा है।

amarujala.com

डीडीए पार्क में मिला शव, शिनाख्त नहीं

नई दिल्ली। मॉडल टाउन इलाके में शनिवार को आजादपुर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-3 के पास स्थित डीडीए पार्क में एक व्यक्ति अचेत पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले गई। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की उम्र करीब 55 साल है। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने दिल्ली के तमाम थानों को सूचना दी है। ब्यूरो